कार्यालयः– मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोटपूतली, जिला कोटपूतली–बहरोड़।

क्रमांक/स्टेनो/2026/350 दिनांक 22.05.2026

–:: कार्यालय आदेश ::–

मैं **सिमरन कौर, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,** कोटपूतली, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 13(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माह मई, 2026 हेतु रिमाण्ड ड्यूटी बाबत् जारी कार्यालय आदेश क्रमांक/स्टेनो/2026/313 दिनांकित 30.04.2026 में प्रशासनिक (माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश क्रमांक Estt.(RJS)71/2026 Dated 14.05.2026 द्वारा न्यायक्षेत्र में हुए अधिकारीगण के स्थानांतरण) कारणों से आंशिक संशोधन करते हुए श्री देवकरण गुर्जर, सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, विराटनगर को दिनांक 23.05.2026 व 24.05.2026 की रिमाण्ड ड्यूटी से मुक्त किया जाकर सुश्री एंजल, अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोटपूतली (मो. 9729149020) की दिनांक 23.05.2026 व 24.05.2026 हेतु रिमाण्ड ड्यूटी नियत की जाती है। शेष आदेश यथावत् रहेंगे।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोटपूतली
जिला कोटपूतली–बहरोड़

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्न को प्रेषित है:–

1. माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, कोटपूतली, जिला कोटपूतली–बहरोड़।
2. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, विराटनगर (जरिए ई मेल)।
3. अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोटपूतली (जरिए ई मेल)।
4. पुलिस अधीक्षक, कोटपूतली, जिला कोटपूतली–बहरोड़ को इस निर्देश के साथ की सभी आरक्षी केन्द्रों को इस बारे में सूचित किए जाने का श्रम करें। (जरिए ई मेल)
5. सहायक निदेशक अभियोजन, कोटपूतली, जिला कोटपूतली–बहरोड़ को इस लेख के साथ कि संबधित दिनांक को न्यायालय में पी.ओ./ए.पी.ओ. को उपस्थित रहने हेतु निर्देशित करें।
6. अध्यक्ष, अभिभाषक संघ, कोटपूतली–बहरोड़ न्यायक्षेत्र। (जरिए ई मेल)
7. कार्यालय पत्रावली।
8. सिस्टम ऑफिसर को जिला न्यायालय कोटपूतली के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोटपूतली
जिला कोटपूतली–बहरोड़

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
कोटपूतली, जिला–कोटपूतली–बहरोड़